

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1581

मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

पैक्स के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर

1581. श्री छेदी पासवान
डॉ. रामशंकर कठेरिया

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी द्वारा कॉमन सॉफ्टवेयर के उपयोग करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो क्या उक्त सॉफ्टवेयर मॉडल बोर्ड-लॉ के तहत विहित गतिविधियों के अनुसार काम करने में सक्षम है; और
- (ग) यदि हां, तो क्या जिस तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है इससे पैक्स के कामकाज बेहतर होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर । भारत सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को सशक्त करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर साथ लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 62,318 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी हैं। नाबार्ड द्वारा सॉफ्टवेयर का विकास किया जा चुका है और अब तक 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 5,673 पैक्स में ईआरपी परीक्षण आरंभ हो चुका है । राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद और लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण के कार्य प्रक्रियाधीन हैं ।

यह सॉफ्टवेयर पैक्स को आदर्श उपविधियों के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए एक व्यापक ईआरपी सॉल्यूशन प्रदान करेगा जिसमें सदस्यता, अल्पकालिक/मध्यमकालिक/दीर्घकालिक ऋण हेतु वित्तीय सेवाएं, प्रापण कार्य, सावर्जनिक वितरण की दुकानों (PDS) का प्रचालन, व्यवसाय योजना, भांडागारों, क्रय-विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, आदि जैसे विभिन्न मॉड्यूलों को शामिल करेगा ।

यह परियोजना त्वरित ऋण संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतानों के असंतुलों में कमी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित कर पैक्स की कार्यकुशलता में सुधार और पारदर्शिता में वृद्धि लाएगी। यह पैक्स के कार्यान्वयन के प्रति किसानों के बीच विश्वसनीयता बढ़ाएगी।
